

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100615

दिनांक: 01/04/2026

लोक सूचना

श्री LOKESH MAHOLIYA पुत्र श्री RAMESHWAR CHOUDHARY जाति JAT निवासी VILLAGE-Saipura Tehsil-Sanganer Jaipur

श्री RAJESH CHOUDHARY पुत्र श्री JAWAHAR CHOUDHARY जाति JAT निवासी PLOT NO-88, GAYATRI NAGAR 2 TONK ROAD SANGANER JAIPUR

श्री RAM KISHOR CHOUDHARY पुत्र श्री RAGHUNATH SAHAY CHOUDHARY जाति JAT निवासी VILLAGE-Saipura Tehsil-Sanganer Jaipur

श्री BHAGWAN SAHAY CHOUDHARY पुत्र श्री RAGHUNATH SAHAY CHOUDHARY जाति JAT निवासी VILLAGE-Saipura Tehsil-Sanganer Jaipur

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कैलाशपुरा उर्फ कोकावास, साँगानेर (जयपुर)	4.) लोकेश मावलिया पुत्र रामेश्वर चौधरी हिस्सा 1 / 6 जाति जाट ग्राम सायपुरा तहसील साँगानेर जिला जयपुर खातेदार 3.) रामकिशोर चौधरी पुत्र रघुनाथ सहाय चौधरी हिस्सा 1 / 6 जाति जाट ग्राम सायपुरा तहसील साँगानेर जिला जयपुर खातेदार 1.) भगवान सहाय चौधरी पुत्र रघुनाथ सहाय चौधरी हिस्सा 1 / 3 जाति जाट ग्राम सायपुरा तहसील साँगानेर जिला जयपुर खातेदार 2.) राजेशचौधरी पुत्र जवाहरचौधरी हिस्सा	814/1	1.08	1.08

		1 / 3 जाति जाट सा. प्लाटनं.88गायत्रीनगर. द्वितीय.टोंकरोड़. सांगानेर.जयपुर खातेदार				
					कुल	1.08

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं ।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा ।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **01-04-2026** को जारी की गयी ।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SEEMA SANDESH

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

